रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 2011/माघ 25, 1932
No. 26] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 2011/MAGHA 25, 1932

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2011

फा. सं. 51-1/2009/राअशिप(मानक एवं मानदण्ड).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 32 के उपखण्ड (3) तथा उपखण्ड (5) की धारा (ग) के साथ पठित खण्ड 32 के उपखण्ड (1) तथा उपखण्ड (2) की धाराएं (ठ) तथा (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समिति में नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल तथा देय भत्ते) विनियम, 1995 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है यथाः—

1 (i) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समिति में नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल तथा देय भत्ते) प्रथम संशोधन विनियम 2011 कहा जाएगा।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्(क्षेत्रीय समिति में नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनका कार्यकाल तथा देय भत्ते) विनियम 1995 (जिसका उल्लेख इसके बाद मूल विनियमों के रूप में किया जाएगा) के विनियम 2 में धारा (i) के बाद निम्न अन्तःस्थापित किया जाएगा यथाः—

(1क) 'चयन समिति' का आशय विनियम 3 अ के अधीन गठित समिति से है।"

3 मूल विनियमों में विनियम 3 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"3(i) अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले छः व्यक्तियों को जैसा उप विनियम (2) में दर्शाया गया है, प्रत्येक क्षेत्रीय समिति में परिषद् द्वारा नामित किया जायेगा।

(ii) उपर्युक्त व्यक्तियों में निम्न शामिल होंगेः

(क) केन्द्रीय/राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के पूर्व–कुलपति, प्रति–कुलपति, शिक्षा विभाग के संकाय अध्यक्ष
(ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
(ग) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य
(घ) अधिमानतः शासकीय संस्थानों के, वरिष्ठ अध्यापक प्रशिक्षक, जिन्हें शिक्षण तथा शिक्षा में अनुसंधान का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।
(ड) पूर्व शिक्षा आयुक्त/पूर्व निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एस सी ई आर टी)
(च) शिक्षा तथा तत्सम्बंधी मामलों से जुडे ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार में कम से कम संयुक्त सचिव अथवा राज्य सरकार में सचिव के स्तर पर पदासीन रहे हों।
(छ) शिक्षा/अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के पूर्व–अध्यक्ष।"

4 विनियम 3 के बाद निम्न अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा–

"3अ क्षेत्रीय समिति के सदस्यों को नामित करने की क्रियाविधि

(1) परिषद् द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो चार क्षेत्रीय समितियों में प्रत्येक में सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों की अनुशंसा की सूची परिषद् को प्रस्तुत करेगी

(2) चयन समिति में अध्यापक शिक्षा का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति होंगे जिनमें से एक भारत सरकार का सेवानिवृत अधिकारी होगा जो शिक्षा के विषय से जुडा रहा हो।

(3) चयन समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् में प्राप्त तथा उसके द्वारा एकत्र किए गए जीवनवृत/बायोडाटा के आधार पर, विनियम 3 में उल्लिखित अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों के नामों पर विचार करेगी और चार क्षेत्रीय समितियों में प्रत्येक के लिए 12 नामों की सूची की सिफारिश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को करेगीः

बशर्ते कि चयन समिति द्वारा जिस व्यक्ति की संस्तुति की गई हो वह किसी अशासकीय अध्यापक शिक्षा संस्थान के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित से जुडा नहीं होना चाहिए।

(4) अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, परिषद् के दो सदस्यों जिन्हें परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित किया गया हो, के परामर्श से चयन समिति द्वारा नामों की अनुशंसा की सूची में से प्रत्येक क्षेत्रीय समिति के लिए छः व्यक्तियों (एक अध्यक्ष सहित) को नामित करेंगे।

(5) प्रत्येक क्षेत्रीय समिति के लिए नामित सदस्यों के नाम परिषद् द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

5 मूल विनियमों के विनियम 4 में 'विनियम 3' शब्द और संख्या के स्थान पर 'विनियम 3 अ शब्द और संख्या अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

विक्रम सहाय, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./131/10]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2011

No. F. 51-1/2009/NCTE(N&S).— In exercise of the powers conferred by sub – section (1) and clauses (l) and (m) of sub-section (2) of section 32 read with clause (c) of sub-section (3) and sub-section (5) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (number of persons to be nominated to Regional Committee, their term of office and allowance payable) Regulations, 1995, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (number of persons to be nominated to the Regional Committee, their term of office and allowance payable) First Amendment Regulations, 2011.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (number of persons to be nominated to Regional Committee, their term of office and allowance payable) Regulations, 1995 (hereinafter referred to as principal Regulations), in regulation 2, after clause (i), the following shall be inserted, namely,-

"(ia) "Selection Committee" means the Committee constituted under Regulation 3A."

3. In the principal Regulations, for regulation 3, the following shall be substituted, namely, -

"3(1) Six persons having special knowledge and experience in matters relating to teacher education, as specified in sub-regulation (2) shall be nominated to each of the Regional Committee by the Council.

(2) The persons referred to above shall include

(a) Former Vice-Chancellors, Pro-Vice Chancellors, Deans of the Faculties of Education of Universities of Central / State Govt.

(b) Professors and Head of the Departments of Education in the Universities under the Central Government or the State Government;

(c) Principals of Government Post Graduate Colleges

(d) Senior Teacher Educators, preferably of Government institutions with a minimum of 15 years experience of teaching and research in education

(e) Former Commissioners of Education / Former Directors of State Council for Educational Research and Training (SCERT)

(f) Person who have held a position not below the rank of Joint Secretary to the Government of India or Secretary in a State Government, dealing with education and related matters;

(g) Former Head of national level institutions in the field of education / teacher education"

4. After regulation 3, the following shall be inserted, namely -

"3A. Procedure for nomination of Members of the Regional Committee,-

(1) There shall be a Selection Committee constituted by the Council for recommending a panel of names for appointment of members for each of the four Regional Committees.

IndiaCode

(2) The Selection Committee shall consist of the three persons having special knowledge and experience in teacher education, one of whom shall be a retired officer of the Government of India who has dealt with the subject of education.

(3) The Selection Committee shall consider names of suitable candidates possessing requisite qualifications and experience referred to in regulation 3, on the basis of Curriculum Vitae / Bio - data received in the NCTE and those collected by it and recommend to the Chairperson, National Council for Teacher Education a panel of 12 names for each of the four Regional Committees:

Provided that a person recommended by the Selection Committee shall not have any direct or indirect interest in any non-government teacher education institution.

(4) The Chairperson, National Council for Teacher Education shall, in consultation with two members of the Council, to be nominated by the Council for the purpose, nominate six persons (including a Chairperson) as members of each Regional Committee, from the panel of names recommended by the Selection Committee.

(5) The names of members nominated for each Regional Committee shall be notified by the Council in the Official Gazette."

5. In regulation 4 of the principal Regulations, for the word and figure 'Regulation 3", the word and figure "Regulation 3A" shall be substituted.

VIKRAM SAHAY, Member-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./131/10]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

552GI/11-2